

एफ.सं. 12/3/2016-जेसीए-2

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

स्थापना (जेसीए-2) अनुभाग

\* \* \*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 12 दिसम्बर, 2018

कार्यालय जापन

विषय :- झारखण्ड और गुजरात विधान सभाओं के उप चुनाव-संवैतनिक अवकाश प्रदान करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जैसा कि निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि गुजरात और झारखण्ड राज्य विधान सभाओं के निम्नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की रिक्तियों को भरे जाने के लिए दिनांक 20.12.2018 को उप-चुनाव करवाए जाएंगे:-

क्र.सं.	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
1.	झारखण्ड	71-कोलेबिरा (अ.जा.)
2.	गुजरात	72-जसदान

2. इस संबंध में इस विभाग द्वारा दिनांक 10.10.2001 के का.जा.सं. 12/14/99-जेसीए के माध्यम से अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं जिनका संबंधित राज्यों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा अनुपालन किया जाना है।

4. उपर्युक्त अनुदेशों को सूचना और अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

*राजू सारस्वत*

(राजू सारस्वत)

अवर सचिव (जेसीए)

टेलीफोन : 2309 2110

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/केंद्रीय सतर्कता अयोग/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय।
3. उच्चतम न्यायालय/गुजरात उच्च न्यायालय/झारखण्ड उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण।
4. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय/गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
5. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13 सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली
6. गुजरात राज्य की राजधानी के केंद्रीय सरकार की कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियों के अध्यक्ष/सचिव।
7. झारखण्ड राज्य की राजधानी के केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियों के अध्यक्ष/सचिव।
8. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग/राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग।
9. गुजरात राज्य सरकार के मुख्य सचिव।
10. झारखण्ड राज्य सरकार के मुख्य सचिव।
11. भारत के निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को उनके दिनांक 05.12.2018 के पत्र सं. 78/ईपीएस/2018/61 के संदर्भ में।